



INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

UPSC – CSE

(संघ लोक सेवा आयोग)

(हिंदी माध्यम)

प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा हेतु



भाग - 8

सामाजिक न्याय एवं कल्याणकारी योजनायें

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स “UPSC-CSE (IAS/IPS/IFS) (हिंदी माध्यम)” को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा “सिविल सेवा परीक्षा (प्रारंभिक एवं मुख्य)” में पूर्ण संभव मदद करेंगे /

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं

प्रकाशक:

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : <http://www.infusionnotes.com>

WhatsApp कीलिए - <https://wa.link/6bx90g>

Online Order कीलिए - <https://shorturl.at/5gSVX>

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	संगठनों, कानूनों, संस्थाओं और निकायों का कमजोर वर्गों के लिए व्यवस्था • वंचित वर्ग • वंचित वर्गों के हितों की रक्षा • सामाजिक न्याय से संबंधित मंत्रालय • वंचित वर्गों के विकास और बेहतरी के लिए कानून • वंचित वर्गों के लिए वैधानिक निकाय	1
2.	भारत में भूखमरी • शून्य भूख • वैश्विक भूख सूचकांक • बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) • भारत में गरीबी माप का विकास • विकास में विकलांगता को मुख्यधारा में लाना • अदृश्य विकलांगता • स्वच्छ सर्वेक्षण • भारतीय गांवों का गांधीवादी प्रतिमान • गरीबी और भूख के मुद्दे • ऑक्सफैम की भूख पर रिपोर्ट • गरीबी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की पहल	8
3.	अनुसूचित और आदिवासी क्षेत्र • अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र • अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 244 ए	17
4.	राष्ट्रीय जलवायु सहनशील कृषि पहल (NICRA)	19
5.	कल्याणकारी योजनाएँ • महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएँ • मनरेगा और प्रवासी संकट • अटल पेंशन योजना • अटल भूजल योजना • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना • स्वच्छ भारत अभियान • स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम • मेक इन इंडिया - पहल, उद्देश्य, लाभ एवं चुनौतियाँ • प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना	21

	• प्रधानमंत्री उज्जला योजना (PMUY) • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) • आत्मनिर्भर भारत अभियान • मिशन कोविड सुरक्षा • विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (STIP 2020) • डिजिटल इंडिया - ग्रामीण क्षेत्रों तक हाई-स्पीड इंटरनेट नेटवर्क • उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना • यूनिट लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) योजना • राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (NBHM) • आयुष्मान भारत योजना • प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात राहत कोष (PM CARES Fund) • स्वदेश दर्शन योजना • प्रसाद योजना • राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन • फेम इंडिया योजना (चरण-2) • पोषण अभियान - राष्ट्रीय पोषण मिशन • स्मार्ट सिटी मिशन • निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की वापसी योजना (RoDTEP) • नमामि गंगे - राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन • स्टैंड अप इंडिया योजना • युवा योजना - युवा लेखकों के लिए	
6.	न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)	68
7.	खाद्य सुरक्षा - खाद्य सब्सिडी वितरण की चुनौतियाँ और समाधान	69
8.	राम मंदिर :- इतिहास और महत्व	73

अध्याय - 1

संगठनों, कानूनों, संस्थाओं और निकायों का कमजोर वर्गों के लिए व्यवस्था

कमजोर वर्ग कौन हैं ?

कमजोरी का मतलब है एक ऐसे माहौल का सामना करने की क्षमता न होना जो नुकसानदायक हो। कमजोर वे लोग होते हैं जो शारीरिक या मानसिक रूप से आक्रमण या हानि का सामना नहीं कर सकते हैं।

1. महिला
2. बच्चे
3. ओबीसी
4. एससी
5. एसटी
6. अल्पसंख्यक
7. विकलांग
8. वरिष्ठ नागरिक
9. मादक पदार्थों के शिकार
10. अस्वस्थ लोग
11. निरक्षर लोग
12. असंगठित श्रमिक
13. गरीब प्रवासी
14. एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोग
15. लिंगिक अल्पसंख्यक (एलजीबीटी)
16. सामान्य रूप से गरीब लोग

नोट: बोल्ड में लिखे गए कमजोर वर्ग वे हैं जिनकी देखभाल सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय करता है।

कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए व्यवस्थाएँ:

1. **संविधान :** कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रावधान।
2. **विधानमंडल :** केंद्र और राज्य स्तर पर : कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न विधेयक।
3. **कार्यपालिका :** केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालय।
4. **न्यायपालिका :** सामाजिक न्याय देने के लिए।
5. **विकेन्द्रीकृत प्रशासन (पंचायती राज स्तर तक कमजोर वर्गों तक पहुंचने के लिए)।**
6. **कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय और राज्य आयोग (जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग)।**

इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्थाएँ हैं जैसे:

1. आरक्षण
2. सब्सिडी

3. पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली)

4. छात्रवृत्तियाँ

5. केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ

केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ (CSS):

केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ (CSS) विशेष उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली अनुदान (या ऋण) होती हैं, ताकि राज्य सरकारें राष्ट्रीय लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाकर उन्हें लागू करें।

राष्ट्रीय लक्ष्यों और उद्देश्यों के उदाहरणों में हर बस्ती में साफ पानी और स्वच्छता पहुंचाना, पोलियो और तपेदिक को समाप्त करना, हर लड़की और लड़के के लिए प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना आदि शामिल हैं।

केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ (CSS) फिर से "कोर ऑफ द कोर योजनाएँ" और "कोर योजनाएँ" में विभाजित की जाती हैं।

केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ और केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएँ (Central Sector Schemes) में अंतर:

केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं से इस मायने में अलग हैं कि केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएँ सीधे केंद्र द्वारा लागू की जाती हैं, जबकि केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ राज्यों द्वारा लागू की जाती हैं।

CSS केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत दी जाती हैं। ये मुख्य रूप से राज्य सूची में शामिल विषयों को कवर करती हैं।

केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ बनाम केंद्रीय सहायता:

केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ (CSS) अब केंद्रीय सहायता (CA) का एक प्रमुख हिस्सा बन गई हैं, जिसे केंद्र राज्यों को राज्य योजनाओं को लागू करने के लिए प्रदान करता है। समझने में आसानी के लिए, CSS को अब CA के समान माना जा सकता है। 2015-16 से पहले केंद्रीय सहायता के अन्य प्रकार थे, लेकिन 14वीं वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद (राज्यों को अधिक कर वितरण) अधिकांश प्रकार बंद कर दिए गए हैं।

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन - चतुर्वेदी समिति की सिफारिशें (2014):

2014 में, यूपीए-2 सरकार ने योजना आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत 147 केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (CSS) को मिलाकर 66 योजनाएँ बनाई गईं, ताकि 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी की जा सके। यह प्रस्ताव चतुर्वेदी समिति की सिफारिशों के अनुसार था, जिसने CSS को घटाकर ओवरलैप (दोहराव) से बचने की सलाह दी थी।

CSS, प्रमुख योजनाएँ और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ACA):

CSS केंद्रीय सरकार की अनुदान राशि से समर्थित होती है। इन्हें राज्य सरकारों द्वारा कम से कम दस पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान लागू किया गया है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में से, सरकार कुछ विशेष योजनाओं को सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता देती है। इन योजनाओं को प्रमुख योजनाएँ (Flagship schemes) कहा जाता है। अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के तहत जो योजनाएँ आती हैं, उन्हें ACA कहा जाता है। दोनों CSS और ACA योजनाओं को केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सौंपा जाता है। इन दोनों के बीच अंतर इसलिए है क्योंकि उनका इतिहास अलग है, और इनकी बजटिंग, नियंत्रण और धन जारी करने की प्रक्रिया भी अलग है। CSS के मामले में, बजट संबंधित मंत्रालयों के तहत आवंटित किया जाता है और पूरा धन जारी करने की प्रक्रिया भी उन्हीं मंत्रालयों द्वारा की जाती है।

यूपीए-2 शासन में केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ और प्रमुख योजनाएँ:

यूपीए-2 शासन के अंत (पुनर्गठन के बाद) में, 66 केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ थीं। इनमें से 17 योजनाएँ प्रमुख योजनाएँ (Flagship schemes) थीं। प्रमुख योजनाएँ कुछ बड़ी योजनाओं के अंतर्गत आती हैं, जिनके लिए अधिक धन आवंटित किया जाता है और जिन्हें सरकार अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठोरता से लागू करती है।

कृपया नीचे 66 केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (CSS) की सूची देखें, जिसमें 17 प्रमुख योजनाएँ भी शामिल हैं।

1. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM)
2. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP)
3. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)
4. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)
5. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना (RGGVY) [केंद्रीय क्षेत्रीय योजना]
6. पुनर्गठित-त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (R-APDRP) [केंद्रीय क्षेत्रीय योजना]
7. पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान कोष (BRGF)
8. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
9. राष्ट्रीय बागवानी मिशन
10. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन
11. राष्ट्रीय बीज और रोपण सामग्री मिशन
12. राष्ट्रीय तिलहन और तेल पाम मिशन
13. राष्ट्रीय कृषि यंत्रीकरण और ऊर्जा मिशन
14. पशुपालन का प्रबंधन
15. राष्ट्रीय दुग्ध विकास योजना
16. मत्स्य पालन का विकास

17. एसीआईडीई

18. NE और अन्य विशेष श्रेणी राज्यों के औद्योगिक विकास के लिए विशेष पैकेज
19. राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (NRCP)
20. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा
21. वन्यजीवों का समेकित विकास
22. वन प्रबंधन की तीव्रता
23. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
24. गैर-संचारी रोग
25. मानव संसाधन और चिकित्सा शिक्षा
26. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन
27. जिला अस्पताल
28. राष्ट्रीय आयुष मिशन
29. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, जिसमें STD नियंत्रण शामिल है
30. पुलिस और अन्य बलों के लिए क्षमता विकास योजना
31. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJJSRY)/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)
32. समेकित कम लागत शौचालय योजना (ILCS)
33. सर्व शिक्षा अभियान (SSA)
34. प्राथमिक शिक्षा को पोषण समर्थन कार्यक्रम (MDM)
35. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)
36. शैक्षिक विकास के लिए समर्थन
37. ब्लॉक स्तर पर 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना योजना
38. मदरसा, अल्पसंख्यक और विकलांगों के लिए शिक्षा प्रदान करने की योजना
39. नए पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना और मौजूदा पॉलीटेक्निक संस्थानों को मजबूत करने की योजना
40. असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा
41. कौशल विकास
42. न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे के विकास की योजना
43. अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएँ शामिल हैं)
44. पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को सशक्त बनाना
45. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
46. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)
47. ग्रामीण आवास - IAY
48. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)/आजीविका
49. समेकित जलस्रोत प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)
50. भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण
51. त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना / राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
52. केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता योजना (IAY के साथ एकजुटता)
53. CRF 'D' से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए E&I
54. अनुसूचित जातियों का सशक्तिकरण
55. ओबीसी का सशक्तिकरण
56. डिनोटिफाइड जनजातियों के विकास के लिए योजना

57. विकलांग व्यक्तियों के लिए योजना
58. सामाजिक कल्याण समूहों के लिए योजना
59. सांख्यिकीय सशक्तिकरण के लिए समर्थन
60. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (रेशम उत्पादन)
61. हथकरघा निर्यात योजना
62. जनजातीय समुदायों का विकास और सशक्तिकरण
63. ICDS
64. महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन
65. ICPS
66. PYKKA

नोट: वह केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ जिनके साथ एकsterisk (*) चिह्न है, भारतीय सरकार की प्रमुख योजनाएँ हैं।

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की नवीनतम सूची: कोर ऑफ द कोर योजनाएँ, कोर योजनाएँ, और प्रमुख केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएँ - केंद्रीय बजट 2018 में

केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ और केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएँ: कोर ऑफ द कोर योजनाएँ:

1. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम
3. अनुसूचित जातियों के विकास के लिए समग्र योजना
4. अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समग्र योजना
5. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए समग्र योजना
6. अन्य कमजोर वर्गों के विकास के लिए समग्र योजना
7. हरित क्रांति
8. सफेद क्रांति
9. नीली क्रांति
10. प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना
11. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना
12. प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY)
13. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन
14. स्वच्छ भारत मिशन
15. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
16. राष्ट्रीय शिक्षा मिशन
17. स्कूलों में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम
18. समग्र ICDS योजना
19. महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए मिशन
20. राष्ट्रीय आजीविका मिशन - आजीविका
21. रोजगार और कौशल विकास
22. पर्यावरण, वन और वन्यजीव
23. शहरी पुनरुद्धार मिशन: AMRUT और स्मार्ट सिटी मिशन
24. पुलिस बलों का आधुनिकीकरण
25. न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचा सुविधाएँ

26. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
27. श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन
28. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

प्रमुख केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाएँ:

29. फसल बीमा योजना
30. किसानों के लिए कम समय के ऋण पर ब्याज सब्सिडी
31. फसल विज्ञान
32. कृषि विश्वविद्यालय और संस्थाएँ
33. क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना
34. ब्याज समानकरण योजना (वाणिज्य मंत्रालय)
35. राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और क्रियान्वयन ट्रस्ट (NICDIT)
36. प्रदर्शनी-कम-सम्मेलन केंद्र, द्वारका
37. उत्तर-पूर्व औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति (NEIPP)
38. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के औद्योगिक इकाइयों को केंद्रीय और एकीकृत GST की वापसी
39. टेलीकॉम बुनियादी ढांचे के निर्माण और विस्तार के लिए सेवा प्रदाताओं को मुआवजा - भारतनेट
40. रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क
41. मूल्य स्थिरीकरण कोष
42. इलेक्ट्रॉनिक्स और IT HW निर्माण को बढ़ावा देना (MSIPS, EDF और निर्माण क्लस्टर)
43. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना
44. सूक्ष्म इकाइयों के विकास के लिए इक्विटी पूंजी - MUDRA बैंक
45. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना
46. प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
47. राष्ट्रीय एड्स और STD नियंत्रण कार्यक्रम
48. सीमा बुनियादी ढांचा और प्रबंधन
49. पुलिस बुनियादी ढांचा
50. मेट्रो परियोजनाएँ और MRTS
51. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम
52. उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (HEFA)
53. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995
54. अल्पसंख्यक बालिका शिक्षा
55. राष्ट्रीय निर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम (NMCP)
56. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
57. क्रेडिट समर्थन कार्यक्रम

अध्याय - 2

भारत में भूखमरी

1. शून्य भूखमरी

भारत में भूखमरी की स्थिति:

- संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, "द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, 2020" रिपोर्ट में अनुमानित है कि भारत में 189.2 मिलियन लोग, यानी 14% जनसंख्या, कुपोषित हैं

परिभाषाएँ

- भूख आमतौर पर कैलोरी की कमी से जुड़ी परेशानी को समझा जाता है।
- कुपोषण केवल कैलोरी की कमी से आगे जाता है और यह निम्नलिखित में से किसी भी एक या सभी में कमी को दर्शाता है: ऊर्जा, प्रोटीन, और/या आवश्यक विटामिन और खनिज। कुपोषण उस भोजन की अपर्याप्त मात्रा या गुणवत्ता के कारण होता है, जो किसी व्यक्ति को मिलता है, या संक्रमण या अन्य बीमारियों के कारण पोषक तत्वों का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता, या इन कारणों का मिश्रण।
- कुपोषण एक व्यापक शब्द है, जो कुपोषण (कमी के कारण समस्याएँ) और अधिक पोषण (असंतुलित आहार से होने वाली समस्याएँ, जैसे कि कैलोरी का अत्यधिक सेवन जो आवश्यकताओं के मुकाबले अधिक हो, चाहे सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन कम हो या न हो) दोनों को संदर्भित करता है।

वैश्विक भूखमरी सूचकांक:

वैश्विक भूख सूचकांक (GHI) रिपोर्ट में "भूख" चार घटक संकेतकों पर आधारित सूचकांक को संदर्भित करता है। ये घटक संकेतक मिलकर कैलोरी और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दर्शाते हैं।

चार घटक संकेतक हैं:

- कुपोषित जनसंख्या का प्रतिशत
 - बच्चों में पतलापन:** पांच साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जो पतले होते हैं (CWA)
 - बच्चों में कद में कमी:** पांच साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जो कद में कम होते हैं (CST)
 - बाल मृत्यु दर:** पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर (CM)
- सूचकांक मूल्य 10 से कम होने पर 'कम भूख' को दर्शाता है, 20 से 34.9 तक के मूल्य 'गंभीर भूख' को दर्शाते हैं; 35 से 49.9 तक के मूल्य 'चिंताजनक' होते हैं; और 50 या उससे अधिक के मूल्य 'अत्यंत चिंताजनक' होते हैं।

भारत की प्रगति GHI में:

- साल 2024 के GHI में भारत 127 देशों में से 105 वें स्थान पर है।

- वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट 2019 में भारत को 117 देशों में से 102वां स्थान मिला।
- वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट 2020 में भारत को 94वां स्थान मिला और इसका भूख सूचकांक 27.2 था।
- भारत ने वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो इसके GHI स्कोर से स्पष्ट है - 1990 में 48.1 से लेकर 2020 में 27.2 तक।

उठाए गए कदम:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)** में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने, प्रजनन, मातृत्व-नवजात-शिशु और किशोर स्वास्थ्य (RMNCH A), और संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उपचार जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।
- SDG भारत सूचकांक** - NITI आयोग ने 2019-20 का SDG भारत सूचकांक और डैशबोर्ड जारी किया है, जो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति और लक्ष्य प्राप्ति में बची दूरी को मापता है, जो 16 में से 17 SDGs को कवर करता है।
 - जो SDGs गरीबी, भूख और पोषण से संबंधित हैं, वे हैं: SDG 1. गरीबी समाप्ति, SDG 2. शून्य भूख।
 - शून्य भूख के लक्ष्य की ओर भारत की प्रगति को मापने के लिए सात राष्ट्रीय स्तर के संकेतक निर्धारित किए गए हैं, जो इस लक्ष्य के तहत 2030 तक आठ SDG लक्ष्यों में से तीन को कवर करते हैं।
 - SDG सूचकांक स्कोर के अनुसार, गोवा और चंडीगढ़ क्रमशः राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर हैं।
- "अंत्योदय अन्न योजना" (AAY)** के तहत, BPL परिवारों में से सबसे गरीब लोगों को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज अधिक सब्सिडी दरों पर मिलता है।
- एकीकृत **बाल विकास सेवा** के तहत 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषक भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
- मिड डे मील भोजन योजना (MDM)** का उद्देश्य स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बेहतर पोषण मानक प्राप्त करना है।
- राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान)** का उद्देश्य बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में कद में कम होना, कुपोषण, खून की कमी (एनीमिया) और कम जन्म वजन को क्रमशः 2 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत और 2 प्रतिशत प्रति वर्ष घटाना है। इसका लक्ष्य 2022 तक 0-6 वर्ष के बच्चों में कद में कम होने की दर को 38.4 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करना है।
- किसानों की आय दोगुनी करने की रणनीति** में सात विकासात्मक कारकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है: फसल उत्पादकता में सुधार, पशुपालन उत्पादकता में वृद्धि, लागत-कुशल उत्पादन प्रक्रियाएँ, फसल विविधीकरण जो उच्च-मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देता है, बेहतर कीमतों तक पहुंच और गैर-कृषि व्यवसायों की ओर शिफ्टिंग।

- अब तक किसानों को 221 मिलियन मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।
 - **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)** का उद्देश्य पानी की दक्षता में सुधार करना है, जिसका नारा है "हर खेत को पानी" और "प्रति बूँद अधिक फसल"।
 - **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)** किसानों को बेहतर बीमा कवरेज और कृषि ऋण 4 प्रतिशत की कम दर पर प्रदान करती है।
 - सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए **न्यूनतम समर्थन मूल्य** कम से कम 150 प्रतिशत उत्पादन लागत से बढ़ा दिए गए हैं।
 - **प्रधानमंत्री किसान योजना** के तहत, प्रत्येक किसान को देशभर में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की मदद दी जाती है, जो उनकी आय को और बढ़ावा देती है।
 - **प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना** के तहत, मेगा फूड पार्कों, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों की अवसंरचना, और एकीकृत कोल्ड चेन तथा मूल्यवर्धन अवसंरचना का वित्तपोषण किया जाता है।
2. **बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI)** MPI की शुरुआत 2010 में की गई थी। MPI के दस संकेतक हैं - पोषण, स्वच्छता, बाल मृत्यु दर, पेयजल, शिक्षा के वर्षों, बिजली, स्कूल में उपस्थिति, आवास, ईंधन और संपत्ति।

आय/कैलोरी आधारित तरीकों से जुड़ी समस्याएँ:

- गरीबी रेखा में वार्षिक मूल्य समायोजन सामान्यतः अपर्याप्त होते हैं और असली गरीबी की स्थिति को कम करके आंकते हैं।
- न्यूनतम कैलोरी का सेवन यह सुनिश्चित नहीं करता कि आहार पोषण की दृष्टि से संतुलित हो।
- आवश्यक गैर-खाद्य वस्तुओं जैसे किराया, ईंधन, स्वास्थ्य देखभाल, और शिक्षा पर खर्च भी अक्सर गंभीर रूप से कम आंका जाता है और ध्यान में नहीं लिया जाता है।

MPI का उपयोग क्यों करें ?

- गैर-आर्थिक आयाम गरीबी का सही अर्थ समझने में मदद करते हैं, जिससे गरीबी की अवधारणा को और मजबूत किया जाता है।
- MPI का उपयोग अधिक "उचित आय सीमा" का पता लगाने में किया जा सकता है और इससे उन गरीब लोगों को भी शामिल किया जा सकता है जो "संसाधनों की कमी के कारण समाज में भाग नहीं ले पाते"।
- गरीबी को बहुआयामी (मनोवैज्ञानिक, मानसिक, स्वास्थ्य, शिक्षा) के रूप में परिभाषित किया गया है, और इसलिए कई संकेतक अधिक व्यापक और सही परिणाम प्रदान कर सकते हैं।
- **अमर्त्य सेन** के अनुसार, यह सुविधाओं और अवसरों की कमी है जो व्यक्तियों को उनके पूर्ण क्षमता और सामर्थ्य को विकसित करने से रोकती है। गरीबी के इस विश्लेषण का दृष्टिकोण आय (साधन) से हटकर स्वतंत्रता (**पूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता**) की ओर होता है।

भारत का MPI प्रदर्शन:

- सभी MPI गणना करने वाले देशों में भारत ने MPI के मामले में सबसे ज्यादा सुधार किया है। एक निम्न मध्य-आय वाले देश के रूप में भारत ने गरीबी में सबसे तेज कमी की है।
- 2005-06 से 2015-16 के बीच, भारत ने 271 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है।
- गरीब राज्यों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया: झारखंड में MPI की स्थिति 2005-06 में 74.9% से घटकर 2015-16 में 46.5% हो गई।
- हालांकि, कुल संख्या के हिसाब से भारत में अभी भी 369 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी का सामना कर रहे हैं।
- भारत के अलावा, कंबोडिया ने संबंधित दशक में MPI में सबसे तेज कमी की है। बांग्लादेश ने भी 2004-2014 के बीच 19 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला।

भारत में गरीबी मापने का विकास:

- 1950 में, **बी एस मिन्हास** ने स्वतंत्र भारत के लिए गरीबी दर का पहला अनुमान प्रकाशित किया, जिसमें वास्तविक खर्च के आधार पर गरीबी रेखा तय की गई थी।
- 1952 में, पहले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) ने निष्कर्ष निकाला कि भारत में गरीबी की हेड-काउंट अनुपात (कुल जनसंख्या में गरीबों का प्रतिशत) लगभग 45 प्रतिशत थी।
- 1971 में, **वी. एम. डांडे और नीलकंठ रथ** ने भारत के लिए गरीबी रेखा तय करने के लिए प्रति व्यक्ति 2,250 कैलोरी प्रतिदिन के सेवन को लिया।
- 1993 में, **डी. टी. लाखड़वाला** की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति ने भारत के लिए गरीबी रेखा तय की। पहली बार, राज्य स्तर पर गरीबी रेखाएँ एक मानक सूची और कीमतों का उपयोग करके विकसित की गईं।
- 2000 में, **सैंक्सेना समिति की रिपोर्ट** ने 1972 से 2000 तक के डेटा का उपयोग करते हुए, भारत में गरीबी के विश्लेषण में कैलोरी सेवन को सामान्य आय से अलग किया और अनुमान लगाया कि भारत की 50% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जी रही थी।
- 2010 में, **सुरेश तेंदुलकर समिति** ने प्रति व्यक्ति मासिक खर्च के आधार पर गरीबी रेखा की गणना की।

10,000 प्रशिक्षित मानसिक चिकित्सक और नैदानिक मनोवैज्ञानिक हैं। हमारे पास 122 सरकार द्वारा चलाए गए डि-एडिक्शन केंद्र और 29 ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर (DTCs) हैं।

पदार्थों के उपयोग को घटाने में चुनौतियाँ:

- प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में यह पाया गया कि पदार्थों के उपयोग के मामले में उपचार का अंतर 90% है।
- मीडिया में दवाओं के उपयोग के मुद्दे को हल्के में लेना, जिससे गलत धारणाएँ बनती हैं, जैसे कि केवल अमीर और शक्तिशाली लोग ही इसका सेवन करते हैं।
- डि-एडिक्शन केंद्रों की कमी।
- अस्पतालों में सेवाओं की कमी और सार्वजनिक-निजी भागीदारी की कमी।
- कम आय वाले और हाशिए पर रहने वाले लोग अधिक मानसिक प्रभाव डालने वाली दवाओं का सेवन करते हैं।
- धन की कमी।

आगे का रास्ता:

- स्कूलों में जागरूकता और संवेदनशीलता कार्यक्रम। छात्रों को दी गई जानकारी तथ्यात्मक, वस्तुनिष्ठ, सूचनात्मक और साक्ष्यों से समर्थित होनी चाहिए।
- देखभाल सेवाओं में निवेश की आवश्यकता है।
- पदार्थ उपयोग विकारों से जूझ रहे लोगों के लिए अंतर-विभागीय सहयोग और सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि वे सह-रुग्ण बीमारियों के कारण अत्यधिक संवेदनशील होते हैं।
- स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों जैसे आयुष और उपचारक का उपयोग किया जा सकता है।
- कार्यक्रमों की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग।
- पदार्थों के उपयोग के खिलाफ सामुदायिक प्रतिक्रिया को मजबूत करना।

6. स्वच्छ सर्वेक्षण

- स्वच्छ सर्वेक्षण, जो कि आवास और शहरी मामले मंत्रालय (MoHUA) द्वारा आयोजित वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण है, आज दुनिया के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण के रूप में स्थापित हो गया है।

विशेषताएँ:

- 2016 में केवल 73 शहरों के साथ शुरू हुआ, जिनकी जनसंख्या मिलियन से अधिक थी, आज यह 4,242 शहरों तक फैल चुका है (2020 में)।
- अब तक, स्वच्छ सर्वेक्षण के पांच दौर किए जा चुके हैं।
- 2019 से सर्वेक्षण को पूरी तरह से डिजिटल और कागज रहित बना दिया गया है।
- स्वच्छ सर्वेक्षण की डिजाइन तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है:

1. **सेवा स्तर की प्रगति** - शहरी क्षेत्रों में ODF स्थिति, कचरे का पृथक्करण, प्रसंस्करण, ठोस कचरे का निपटान और सतत स्वच्छता पर शहरों की प्रगति का मूल्यांकन।
 2. **नागरिकों की आवाज** - नागरिकों से सीधे प्रतिक्रिया, नागरिकों के साथ जुड़ाव और नागरिकों द्वारा की गई नवाचारों के आधार पर शहरों का मूल्यांकन।
 3. **प्रमाणन** - मंत्रालय के प्रमाणन प्रोटोकॉल के तहत शहरों के प्रदर्शन का मूल्यांकन, जैसे कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग और ODF / ODF / ODF / जल।
- जबकि वास्तविक मूल्यांकन हर साल 4 जनवरी से 31 जनवरी तक सभी ULBs में किया जाता है, इसे स्वच्छ सर्वेक्षण लीग (2019 में शुरू किया गया) द्वारा पहले किया जाता है, जिसका उद्देश्य शहरों के ग्राउंड प्रदर्शन को बनाए रखना और सेवा स्तर प्रदर्शन की निरंतर निगरानी करना है।
 - स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 तीन तिमाहियों में किया गया और इसका 25% वजन था, जो शहरों की अंतिम रैंकिंग में योगदान करता है।

स्वच्छ सर्वेक्षण का प्रभाव:

- आज, शहरी भारत न केवल ODF बन चुका है, बल्कि मिशन के उद्देश्य से भी आगे बढ़कर सामुदायिक स्वच्छता और सफाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
 - ठोस कचरे की प्रसंस्करण क्षमता अब तीन गुना से अधिक बढ़कर 67% हो गई है।
 - इसी तरह, स्वच्छ सर्वेक्षण ढांचे में शामिल कचरा मुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ने शहरों को संपूर्ण स्वच्छता के लिए प्रेरित किया है - अब तक 6 शहरों को 5 स्टार, 86 शहरों को 3 स्टार और 64 शहरों को 1 स्टार मिला है।
- स्वच्छ सर्वेक्षण ने स्वच्छता आंदोलन को एक सच्चे 'जन आंदोलन' में बदलने में मदद की है। स्वच्छ सर्वेक्षण - 2020 में 1.87 करोड़ नागरिकों से प्रतिक्रिया प्राप्त की गई।
- SBM-U ने स्वच्छता कार्यकर्ताओं और कचरा उठाने वालों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार पर जोर दिया है। 84,000 से अधिक अनौपचारिक कचरा उठाने वालों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है।
- इसने प्रमुख डिजिटल नवाचारों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है, जैसे स्वच्छता ऐप - एक शिकायत निवारण उपकरण, स्वच्छ मंच - डिजिटल नागरिक जुड़ाव मंच।
- शहरी अधिकारियों के ज्ञान और क्षमता को स्वच्छ सर्वेक्षण ढांचे के माध्यम से मजबूत किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के कार्यशालाओं में 12,000 से अधिक ULB/राज्य सरकार के अधिकारी उपस्थित हुए।
- इसने 'व्यवसाय करने में आसानी' को सक्षम किया है, शहरों के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर पंजीकरण को सरल बनाने और शहरों/राज्यों को प्रोत्साहन देने के द्वारा।

को अपनी नौकरी खोने का खतरा था, उन्हें उनके महीने के वेतन का 24% उनके पीएफ खाते में तीन महीनों तक डाला जाएगा, ताकि उनके रोजगार में कोई रुकावट न हो।

- इसके अलावा, 1 अप्रैल 2020 से पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत MNREGA मजदूरी ₹20 बढ़ाई गयी। MNREGA मजदूरी में यह बढ़ोतरी प्रत्येक श्रमिक को वार्षिक ₹2,000 का अतिरिक्त लाभ दिया गया, जिससे लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को मदद मिली।

आत्मनिर्भर भारत अभियान

परिचय

आत्मनिर्भर भारत अभियान (स्वावलंबी भारत योजना) का ऐलान मई 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा चार चरणों में किया गया।

सरकार द्वारा घोषित आर्थिक राहत पैकेज ₹20 लाख करोड़ का है, जिसमें पहले से घोषित ₹1.70 लाख करोड़ का पैकेज भी शामिल है, जिसे पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन से उत्पन्न समस्याओं से उबारने के लिए लागू किया गया था।

आत्मनिर्भर भारत योजना के 5 महत्वपूर्ण तथ्य:

- प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि आत्मनिर्भर भारत या स्वावलंबी भारत को इन पांच स्तंभों पर खड़ा होना चाहिए:
 1. अर्थव्यवस्था
 2. इंफ्रास्ट्रक्चर
 3. 21वीं सदी की तकनीकी-आधारित व्यवस्थाएं
 4. मांग
 5. जीवंत जनसंख्या

- ₹20 लाख करोड़ का पैकेज देश के GDP का लगभग 10% है।
- यह पैकेज भूमि, श्रम, तरलता और कानून पर जोर देता है।
- यह पैकेज कई क्षेत्रों जैसे MSME, कुटीर उद्योग, मध्य वर्ग, प्रवासी श्रमिक, उद्योग आदि के लिए उपायों को शामिल करता है।
- भारत को आत्मनिर्भर बनाने और भविष्य में नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कई सुधारों की घोषणा की गई है, जिनमें से कुछ सुधार इस प्रकार हैं:

1. सरल और स्पष्ट कानून
2. तार्किक कर प्रणाली
3. कृषि आपूर्ति श्रृंखला में सुधार
4. सक्षम मानव संसाधन
5. मजबूत वित्तीय प्रणाली

आइए, अब जानते हैं कि भारत का राहत पैकेज अन्य देशों द्वारा घोषित पैकेजों से किस प्रकार तुलना करता है:

देश	जीडीपी का प्रतिशत
यूएसए	13% (2.7 ट्रिलियन यूएसडी - पूर्ण मौद्रिक शतों में सबसे बड़ा)
जापान	21.1%
स्वीडन	12%
ऑस्ट्रेलिया	10.8%
जर्मनी	10.7%

पहले चरण में 16 विशिष्ट घोषणाएं की गईं और वे एमएसएमई, एनबीएफसी, रियल एस्टेट, बिजली आदि क्षेत्रों से संबंधित थीं।

श्रेणी	उपाय
कर्मचारी / करदाता	• वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। • आयकर कटौती (TDS) और स्रोत पर कर संग्रहण (TCS) की दरों में अगले साल के लिए 25% की कमी की गई है। • PMGKY के तहत छोटे संगठित क्षेत्रों के कम आय वाले श्रमिकों के लिए EPF सहायता को 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। • कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए पीएफ योगदान को 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है, यह बदलाव अगले 3 महीनों तक लागू रहेगा।
MSME / एमएसएमई	• ₹3 लाख करोड़ की आपातकालीन क्रेडिट लाइन की घोषणा की गई है, जिससे 45 लाख यूनिट्स को कामकाजी पूंजी मिल सकेगी ताकि वे अपना कारोबार फिर से शुरू कर सकें और नौकरियों की सुरक्षा हो सके। • ₹20,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जो 2 लाख MSMEs को दी जाएगी, जो तनावपूर्ण या गैर-प्रदर्शनीय संपत्ति मानी जाती है। • ₹50,000 करोड़ का इक्विटी निवेश किया जाएगा, जो ₹10,000 करोड़ के MSME फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से होगा। • MSME की परिभाषा का विस्तार किया जा रहा है, ताकि उच्च निवेश सीमा और टर्नओवर आधारित मानदंडों की शुरुआत की जा सके। • ₹200 करोड़ तक के सरकारी निविदाओं के लिए वैश्विक निविदाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी। • सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां 45 दिनों के भीतर सभी MSMEs को बकाया धन जारी करेंगी।

NBFC / एनबीएफसी	₹30,000 करोड़ का विशेष तरलता योजना घोषित की गई है, जिसके तहत NBFCs के निवेश-ग्रेड ऋण पत्रों में निवेश किया जाएगा। - आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना का विस्तार किया गया है, जिसमें सरकार उधारदाताओं को पहले नुकसान का 20% गारंटी देती है — NBFCs, HFCs, और MFIs के लिए जिनकी क्रेडिट रेटिंग कम है।
डिस्कॉम	₹90,000 करोड़ की तरलता इंजेक्शन की घोषणा की गई है।
रियल एस्टेट	राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की पंजीकरण और पूर्णता की तारीख को छह महीने के लिए बढ़ा दें।

आत्मनिर्भर भारत अभियान - चरण 2- दूसरे चरण में उन प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं।

प्रावधान	विवरण
निःशुल्क खाद्यान्न	केंद्र सरकार अगले 2 महीनों तक बिना राशन कार्ड वाले प्रवासी मजदूरों के लिए ₹3,500 करोड़ खर्च करेगी। यह पीएमजीकेवाई का विस्तार है।
ऋण सुविधाएँ	- गली-गली में काम करने वाले छोटे विक्रेताओं को ₹5,000 करोड़ की योजना के तहत आसान क्रेडिट मिलेगा, जिसमें ₹10,000 तक के ऋण शुरुआती कामकाजी पूंजी के लिए दिए जाएंगे। - उन 2.5 करोड़ किसानों को किफायती ऋण प्रदान करने की योजना है, जो अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना का हिस्सा नहीं हैं, साथ ही मछली पालन करने वालों और पशुपालन करने वालों को भी ₹2 लाख करोड़ का ऋण मिलेगा। - नाबार्ड ग्रामीण बैंकों को कृषि ऋण के लिए ₹30,000 करोड़ का अतिरिक्त पुनर्वित्त समर्थन प्रदान करेगा।
अनुदान राहत	मुद्रा-शिशु योजना के तहत 50,000 रुपये या उससे कम मूल्य के ऋण लेने वाले छोटे व्यवसायों को अगले वर्ष के लिए 2% ब्याज अनुदान राहत मिलेगी।
किफायती किराये के आवास	- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAU) के तहत पीपीपी मोड के माध्यम से किराये के आवास परिसर बनाने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। - सरकारी और निजी एजेंसियों को सरकारी और निजी ज़मीन पर किराये के आवास बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, और मौजूदा सरकारी आवासों को किराये के यूनिट्स में बदला जाएगा। - प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निम्न-मध्यम वर्ग के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना को एक साल के लिए बढ़ाकर मार्च 2021 तक किया जाएगा।
एक देश एक राशन कार्ड योजना	अगस्त 2020 तक, राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना के तहत 23 जुड़े हुए राज्यों के 67 करोड़ NFSA लाभार्थी अपने कार्ड का उपयोग देश के किसी भी राशन की दुकान पर कर सकेंगे।
MGNREGA	राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने गृह राज्यों में लौटे प्रवासी श्रमिकों को MNREGA योजना में शामिल करें।

आत्मनिर्भर भारत अभियान - तीसरा चरण
आर्थिक राहत पैकेज की तीसरी किस्त कृषि विपणन सुधारों पर ध्यान केंद्रित करती है। जो कई सुधार घोषित किए गए

हैं, वे लंबे समय से लंबित थे और इनका किसानों और उपभोक्ताओं दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

प्रावधान	विवरण
अंतर-राज्यीय व्यापार	- कृषि वस्तुओं के अवरोध-मुक्त अंतर-राज्यीय व्यापार और ई-ट्रेडिंग की अनुमति देने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने की योजना। - इससे किसान मौजूदा मंडी व्यवस्था से परे आकर्षक कीमतों पर उपज बेच सकेंगे।
अनुबंध खेती	अनुबंध खेती की देखरेख के लिए एक सुविधाजनक कानूनी ढांचा सुनिश्चित करने की योजना।

	इससे किसानों को फसल बोन से पहले ही बिक्री मूल्य और मात्रा सुनिश्चित हो जाएगी और निजी कम्पनियों को कृषि क्षेत्र में इनपुट और तकनीक में निवेश करने की अनुमति भी मिलेगी।
उत्पादों का विनियमन	- केंद्र आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करके अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू सहित छह प्रकार की कृषि उपज की बिक्री को विनियमित करेगा। - राष्ट्रीय आपदा या अकाल या कीमतों में असाधारण उछाल के मामले को छोड़कर इन वस्तुओं पर स्टॉक सीमा नहीं लगाई जाएगी। ये स्टॉक सीमाएँ प्रोसेसर और निर्यातकों पर लागू नहीं होंगी।
कृषि अवसंरचना	फसल-गेट अवसंरचना के निर्माण और मछली श्रमिकों, पशुधन किसानों, सब्जी उत्पादकों, मधुमक्खी पालकों और संबंधित गतिविधियों के लिए रसद आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश।

आत्मनिर्भर भारत अभियान - चरण 4 - अंतिम चरण में
रक्षा, विमानन, बिजली, खनिज, परमाणु और अंतरिक्ष क्षेत्रों

पर ध्यान केंद्रित किया गया है। निजीकरण पर बहुत जोर दिया गया है।

क्षेत्र	विवरण
रक्षा	- कुछ हथियारों और प्लेटफार्मों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था, ताकि रक्षा उत्पादन को स्वदेशी बनाया जा सके। - घरेलू पूंजी खरीद के लिए एक अलग बजट की व्यवस्था, जिससे रक्षा आयात बिल को कम किया जा सके और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिले। - स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा निर्माण में एफडीआई सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की जाएगी। - आयुध निर्माण बोर्ड (OFB) को कॉर्पोरेट बनाकर स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध किया जाएगा ताकि स्वायत्तता, कार्यकुशलता और जिम्मेदारी बढ़े।
खनिज	- राजस्व-साझाकरण के आधार पर वाणिज्यिक खनन की शुरुआत के साथ कोयले पर सरकार का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। - निजी क्षेत्र को 50 कोयला ब्लॉकों के लिए बोली लगाने की अनुमति दी जाएगी। निजी खिलाड़ियों को अन्वेषण गतिविधियाँ करने की भी अनुमति दी जाएगी।
अंतरिक्ष	- अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। - निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे, ताकि वे इसरो की सुविधाओं का उपयोग कर सकें और भविष्य के अंतरिक्ष यात्रा और ग्रह अन्वेषण परियोजनाओं में भाग ले सकें। - सरकार द्वारा भू-स्थानिक डेटा नीति में बदलाव किए जाएंगे, ताकि रिमोट-सेंसिंग डेटा तकनीकी उद्यमियों के लिए अधिक उपलब्ध हो सके, साथ ही सुरक्षा उपाय भी लागू किए जाएंगे।
विमानन	- छह और हवाईअड्डों को निजी-सरकारी साझेदारी के तहत नीलामी के लिए रखा जाएगा, जबकि 12 अन्य हवाईअड्डों पर अतिरिक्त निजी निवेश आमंत्रित किया जाएगा। - एयरस्पेस प्रतिबंधों को आसान बनाने के उपाय घोषित किए गए हैं, जिससे उड़ानें और अधिक कुशल बन सकेंगी। - एमआरओ (रखरखाव, मरम्मत और संचालन) कर संरचना को सुव्यवस्थित किया जाएगा, ताकि भारत को एमआरओ हब बनाया जा सके।
बिजली	केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली विभागों/उपभोक्ता वितरण कंपनियों को एक नई टैरिफ नीति के आधार पर निजीकरण किया जाएगा।
परमाणु	चिकित्सा समस्थानिकों के उत्पादन के लिए पीपीपी मोड में अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे।

मिशन कोविड सुरक्षा

परिचय

भारत सरकार ने "मिशन कोविड सुरक्षा" लॉन्च किया, जो COVID-19 वैक्सीन पर काम कर रहे भारतीय उम्मीदवारों और शोधकर्ताओं के लिए एक विकास कार्यक्रम था। इस मिशन के तहत, सरकार भारतीय वैक्सीन के नैदानिक

विकास, निर्माण और लाइसेंसिंग को सुविधाजनक बनाना, ताकि वायरस के हमले को रोका जा सके।

मिशन कोविड सुरक्षा क्या है ?

- भारत सरकार ने मिशन कोविड सुरक्षा के पहले चरण के लिए 900 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जो 12 महीनों के लिए था।

Dear Aspirants, here are the our results in differents exams

(Proof Video Link) ↓

RAS PRE. 2021 - <https://shorturl.at/qBJ18> (74 प्रश्न , 150 में से)

RAS Pre 2023 - <https://shorturl.at/tGHRT> (96 प्रश्न , 150 में से)

UP Police Constable 2024 - <http://surl.li/rbfyn> (98 प्रश्न , 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - <https://youtu.be/gPqDNlc6UR0>

Rajasthan CET 12th Level - <https://youtu.be/oCa-CoTFu4A>

RPSC EO / RO - <https://youtu.be/b9PKjl4nSxE>

VDO PRE. - <https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856Wl8&t=202s>

Patwari - <https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s>

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD - 2021 - <https://youtu.be/2gz2fJyt6vI>

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
MPPSC Prelims 2023	17 दिसम्बर	63 प्रश्न (100 में से)
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये

whatsapp <https://wa.link/6bx90g> 1 web.- <https://shorturl.at/5gSVX>

RAS Pre. 2023	01 अक्टूबर 2023	96 प्रश्न (150 में से)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्टूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्टूबर (2 nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्टूबर (2 nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसम्बर (1 st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसम्बर (2 nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसम्बर (2 nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1 st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21 नवम्बर 2021 (1 st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1 st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1 st शिफ्ट)	98 (150 में से)
UP Police Constable	17 February 2024 (1 st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

whatsapp <https://wa.link/6bx90g> 2 web.- <https://shorturl.at/5gSVX>

Our Selected Students

Approx. 563+ students selected in different exams. Some of them are given below -

Photo	Name	Exam	Roll no.	City
	Mohan Sharma S/O Kallu Ram	Railway Group - d	114195120370022	PratapNagar Jaipur
	Mahaveer singh	Reet Level- 1	1233893	Sardarpura Jodhpur
	Sonu Kumar Prajapati S/O Hammer shing prajapati	SSC CHSL tier- 1	2006018079	Teh.- Biramganj, Dis.- Raisen, MP
N.A	Mahender Singh	EO RO (81 Marks)	N.A.	teh nohar , dist Hanumang arh
	Lal singh	EO RO (88 Marks)	13373780	Hanumang arh
N.A	Mangilal Siyag	SSC MTS	N.A.	ramsar, bikaner

	MONU S/O KAMTA PRASAD	SSC MTS	3009078841	kaushambi (UP)
	Mukesh ji	RAS Pre	1562775	newai tonk
	Govind Singh S/O Sajjan Singh	RAS	1698443	UDAIPUR
	Govinda Jangir	RAS	1231450	Hanumang arh
N.A	Rohit sharma s/o shree Radhe Shyam sharma	RAS	N.A.	Churu
	DEEPAK SINGH	RAS	N.A.	Sirsi Road , Panchyawa la
N.A	LUCKY SALIWAL s/o GOPALLAL SALI WAL	RAS	N.A.	AKLERA , JHALAWAR
N.A	Ramchandra Pediwal	RAS	N.A.	diegana , Nagaur

	Monika jangir	RAS	N.A.	jhunjhunu
	Mahaveer	RAS	1616428	village- gudaram singh, teshil-sojat
N.A	OM PARKSH	RAS	N.A.	Teshil- mundwa Dis- Nagaur
N.A	Sikha Yadav	High court LDC	N.A.	Dis- Bundi
	Bhanu Pratap Patel s/o bansi lal patel	Rac batalian	729141135	Dis.- Bhilwara
N.A	mukesh kumar bairwa s/o ram avtar	3rd grade reet level 1	1266657	JHUNJHUN U
N.A	Rinku	EO/RO (105 Marks)	N.A.	District: Baran
N.A.	Rupnarayan Gurjar	EO/RO (103 Marks)	N.A.	sojat road pali
	Govind	SSB	4612039613	jhalawad

	Jagdish Jogi	EO/RO Marks)	(84 N.A.	tehsil bhinmal, jhalore.
	Vidhya dadhich	RAS Pre.	1158256	kota
	Sanjay	Haryana PCS	96379 	Jind (Haryana)

And many others.....

Click on the below link to purchase notes

WhatsApp करें - <https://wa.link/6bx90g>

Online Order करें - <https://shorturl.at/5gSVX>

Call करें - **9887809083**